न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—177/2020/225 (2020/00177)

1. सूरज दत्तक पुत्र घीस्या उर्फ घासी प्राकृतिक पिता सुल्तान, जाति मीणा, निवासी चांदसेन, तहसील मालपुरा, जिला टोंक हाल निवासी खटवाड़, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. घीस्या उर्फ घासी पुत्र किशना, जाति मीणा, निवासी खटवाड़, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. उप पंजीयक कार्यालय, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. कमलादेवी पत्नि रोडूराम, जाति मीणा, निवासी वार्ड नं0 20 रामपुरा उंती, बगरूकलां, तह0 सांगानेर, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 16.9.2020 अंतर्गत प्रकरण संख्या 115/2019.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री डूंगरसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 4 .
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
4. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 29.7.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 16.9.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात खतौनी संख्या 105 पुराना खाता संख्या 89 के कुल किता 22 कुल रकबा 9.3100 है0 भूमि वाके ग्राम खटवाड़ तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1 नाऔलाद है जिसके कोई जायंदा पुत्र या पुत्री नही है प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ने 11 वर्ष की उम्र में उसकी नाबालिग अवस्था में रीति रिवाज अनुसार गोद लेने व देने की रस्म अदा कर ग्राम चांदसेन में उसके लहरिया बंधा दिया व पतासे बांट दिये एवं प्रार्थी को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार कर लिया । प्रार्थी को गोद लेने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की प्राकृतिक माता पिता से सहमति प्राप्त की । प्रार्थी बतौर गोद पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 के साथ निवास कर रहा था एवं गोद लेने के पश्चात् प्रार्थी का अपने प्राकृतिक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

माता पिता से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है । अप्रार्थी संख्या 1 की चल व अचल सम्पती के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नही हो न ही गोद के लड़के के संबंध में कोई विवाद रहे इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 1.9.2005 को रजिस्टर्ड गोदनामा प्रार्थी के पक्ष में तहरीर व तकमील करवा दिया जिससे अप्रार्थी संख्या 1 पाबंद एवं बाध्य है । अप्रार्थी संख्या 1 बुजुर्ग है, उम्र अनुसार वृद्धावस्था आ चुकी है जिसकी सोचने समझने की शक्ति नही रहे है एवं अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर विवादित आराजी से प्रार्थी को महरूम करने के लिए नुमाईशी विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में करवा दिया जिसकी जानकारी जिसकी जानकारी प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश करने पर हुई । अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा कराया गया नुमायशी विक्रय पत्र अवैध एवं शून्य है । प्रार्थी विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 16.9.2020 को प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में दिनांक 27.12.2019 को पारित अंतरिम स्थगन आदेश निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी किन्तु अधी0न्याया0 ने केवल मात्र रेस्पो0 संख्या 4 के द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 ने 11 वर्ष की उम्र में रीतिरिवाज अनुसार गोद लेने व देने की रस्म अदा कर ग्राम चांदसेन में उसके लहरिया बांधा व पतासे बांट कर वादी/अपीलांट को अपना दत्तक पुत्र घोषित कर दिया था । गोद लेने के लिए रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वादी के प्राकृतिक माता पिता की सहमति भी प्राप्त की गई । गोद लिये जाने की दिनांक से वादी अपने गोदपिता के पास रहकर विवातिद आराजियात पर काबिज काश्त है । वादी को गोद लेने के संबंध में पंजीकृत गोदनामा भी निष्पादित किया गया है । वादी रेस्पो0 संख्या 1 का दत्तक पुत्र होने से विवादित आराजियात में उसका हक व अधिकार निहित है । अधी0न्याया0 के समक्ष खातेदारी घोषणा व विक्रय पत्र को निरस्त कराने के संबंध में वाद विचाराधीन है इस कारण अधी0न्याया0 को वाद के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था । प्रार्थी रेस्पो0 संख्या 1 का दत्तक पुत्र होने से उसका विवादित आराजियात में हक व अधिकार है जिस बाबत् अधी0न्याया0 को अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 4 ने विवादित आराजियात रिकार्डेड खातेदार काश्तकार से क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है । रेस्पो0 संख्या 4 विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार

होने से उसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के घटक अपीलांट की अपेक्षा रेस्पो0 संख्या 4 के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 ने पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । रेस्पो0 संख्या 4 श्रीमती कमलादेवी ने विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.4.2008 के द्वारा क्रय की है जिसके आधार पर रेस्पो0 संख्या 1 राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है होकर मौके पर काबिज काश्त है । अपीलांट को विवादित आराजियात में क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है यह सब तथ्य बाद साक्ष्य मूल वाद में निर्धारित किये जावेगें किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के बजाय रेस्पो0 के पक्ष में पाये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.9.2020 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.7.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर